| | |
|---|---|
| 18/4/2022 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 23/3/2022 को प्रस्तुत जवाब जो संलग्न पत्रावली है, रेकार्ड पर लिया जाता है। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। |
| 2022/193<br>तह. चित्तौड़ के पृ.क्र./1936 21/06/22 से पालना रिपोर्ट प्राप्त • शामिल मिसल किया गया। | प्रार्थीगण ने ग्राम सेंती प०ह० सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1080 रकबा 1.0800 हे. भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। हमने विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थीगण जेर बहस आराजी के खातेदार हैं तथा उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण<br>..... लगातार |

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राअधि स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम सेंती स्थित खातेदारी आराजी नम्बर 1080 रकबा 1.0800 है. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1000.00 एक हजार रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर आदेशानुसार - नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner